

प्रेषक,
पीठके/पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून दिनांक: 20 मई, 2015

विषय: जनपद-अल्मोड़ा में फाराखोली से मल्ली मयौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.802 हे० आरक्षित एवं सिविल वन भूमि का गैर कानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3143/1 जी-FP/UK/ROAD/10881/2015 दिनांक 06 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-अल्मोड़ा में फाराखोली से मल्ली मयौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.802 हे० आरक्षित एवं सिविल वन भूमि का गैर कानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014, शासनादेश संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-852/PXVIII-(2)/2013&13(34)/2013 दिनांक 25 जुलाई, 2013 एवं कार्यवृत्त दिनांक 10.04.2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.604 हे० सिविल सौम्य भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को सम्मिलित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के अन्तर्गत है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं भूमान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/आरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमान्तरण की उन्नत शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को सम्मिलित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मननीय उच्चतम न्यायालय के सिट फिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 06.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि राक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्त अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 06.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एफ०सी०-25229 कर्पोरेशन बैंक

4

(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फंज-1, लेंधो रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सी0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं05 3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पंधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के राक्ष निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फंज-1, लेंधो रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पक्षों की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का भदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा जरांतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(पी0के0पारा0)
अपर सचिव।

संख्या: 332 (1) / X-4-15 / 1(150) / 2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0 आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोडा।
5. जिलाधिकारी, अल्मोडा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा।
7. अधिशासी अभियंता, नि0ख0, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस आशयवाचक को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(श्याम सिंह)
उप सचिव।